


19/03

उपरोक्त पत्रादि का विषय संलग्न अर्थात्
 किताबें आदि पत्रादि। न्यायालय सभ्य के द्वारा
 वकालत की किताबें उपरोक्त आदि पत्रादि का
 के अनुसार पत्रादि आदि संलग्न दि. 14.9.22 को
 फाइल आदि प्रदान करने के बाद भी आदि
 प्रदान करने पर वकील नोटिस पेश नहीं किया
 गया। अतः न्यायालय आदि - 9 नियम 3 व 5
 की प्रतीति से रवायत करने उपरि सभ्यता है।
 अतः बाद की रवायत किताबें पेश होनी चाहिए।
 किताबें उपरोक्त होकर बाद वकील संलग्न पत्रादि

वकालत


उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़